About the Book

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। यह अभ्यर्थियों को आसान और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने, अपनी समझ बेहतर बनाने और परीक्षा के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। नियमित अभ्यास के साथ यह पुस्तक बेहतर प्रदर्शन और सफलता की तैयारी में सहायक है।

पुस्तक की मुख्य विशेषताएँ:

- पुस्तक में **पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण थ्योरी** दी गई है, जिससे सभी जरूरी टॉपिक्स को एक ही जगह पढ़ा जा सकता है।
- इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।
- पुस्तक में 2000+ अध्यायवार अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को हर विषय की तैयारी करने और अपनी समझ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
- इसमें 2026 का सॉल्व्ड पेपर हल **सहित** दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और उनके सही उत्तरों को आसानी से समझ सकते हैं।
- थ्योरी और अभ्यास प्रश्नों के साथ यह पुस्तक **गति, सटीकता और समय प्रबंधन** बेहतर करने में मदद करती है।
- यह पुस्तक पूरी तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परीक्षा-केंद्रित बनाने में सहायक है।

यह पुस्तक उन अभ्यर्थियों के लिए एक संपूर्ण अध्ययन एवं अभ्यास पुस्तक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी को एक ही पुस्तक से मजबूत करना चाहते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें

Buy books at great discounts on: www.examcart.in | www.amazon.in/examcart |

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

CB2383

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा स्टडी बुक
ISBN - 978-93-7516-679-5
9789375166795
₹ 449

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा स्टडी बुक

CB2383

AGRAWAL EXAMCART

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा

सम्पूर्ण स्टडी बुक

सामान्य ज्ञान | सामान्य विज्ञान | सामान्य हिंदी | संख्यात्मक योग्यता | मानसिक योग्यता | मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता

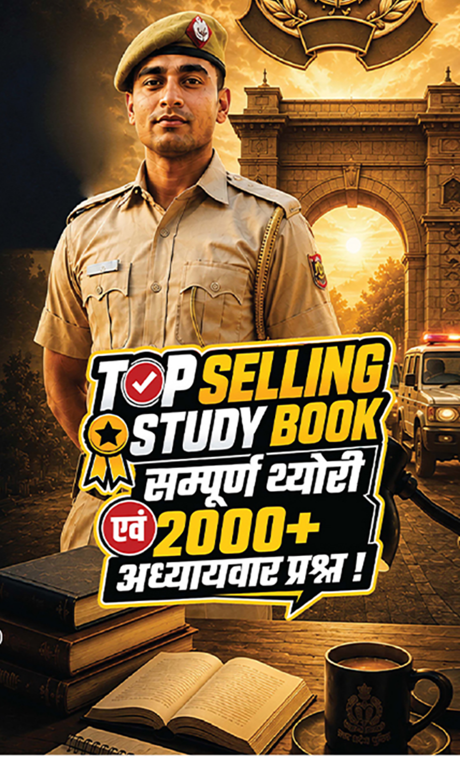

मुख्य विशेषताएँ

» **संपूर्ण थ्योरी**
(पाठ्यक्रमानुसार)

» **2000+ अभ्यास प्रश्न**
(अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश)

» **1 सॉल्व्ड पेपर**
(2026 का व्याख्यात्मक हल सहित सॉल्व्ड पेपर)

TOP SELLING STUDY BOOK
सम्पूर्ण थ्योरी एवं 2000+ अध्यायवार प्रश्न!

Code	Price	Pages	ISBN
CB2383	₹449	544	978-93-7516-679-5

विषय सूची

➔ **Exam Book Material ई-बुक का Content** x
व्याख्यात्मक हल (संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता) की ई-बुक QR Code में दी गई है।

➔ **परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना (Important Information)** xi
(UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी एवं पुस्तक या किसी भी समस्या के लिए हमारा Helpline No.)

➔ **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न** xii

सॉल्व्ड पेपर

➢ **हल प्रश्न-पत्र [परीक्षा तिथि: 08-06-2026 (प्रथम पाली)]** 1-20

सामान्य ज्ञान

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
1.	**उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था** ● राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ● 1932–35 बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये ● 1947–48 में आजादी के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये गये ● पुलिस प्रणाली ● प्रशासनिक व्यवस्था ● शासन व्यवस्था	7	1-6
2.	**सोशल मीडिया कम्युनिकेशन**	7	7
3.	**महिला सशक्तिकरण** ● आधी आबादी के रूप में महिलायें ● मातृसत्तात्मक समाज ● महिला सशक्तिकरण और व भारत में इसका प्रभाव ● सशक्त होने का वास्तविक आशय	7	8-10
4.	**मानवाधिकार संरक्षण** ● राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन [धारा 3] ● राज्य मानव अधिकार आयोग ● मानवाधिकार न्यायालय	10	11-12
5.	**भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध** ● भारत-चीन सम्बन्ध ● भारत-चीन विवाद ● भारत-चीन सहयोग ● भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध ● भारत-नेपाल सम्बन्ध ● भारत–भूटान सम्बन्ध ● भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध ● भारत–श्रीलंका और मालदीव सम्बन्ध ● भारत–अफगानिस्तान	6	13-15
6.	**आतंकवाद** ● आतंकवाद का अर्थ ● आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या ● भारत में आतंकवाद ● जिम्मेदार कौन? ● आतंकवाद के विविध रूप ● आतंकवाद का समाधान ● सारांश	6	16-17

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
7.	**भारतीय इतिहास** **I. प्राचीन भारत का इतिहास** ● इतिहास और उसके स्रोत ● प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ ● विश्व सभ्यताएँ और सिंधु घाटी सभ्यता ● वैदिक युग (1500–600 ईसा पूर्व) ● जैन धर्म और बौद्ध धर्म ● मौर्य काल (322 ईसा पूर्व–185 ईसा पूर्व) ● मौर्योत्तर भारत **II. मध्यकालीन भारत का इतिहास** ● मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत ● दिल्ली सल्तनत ● विजयनगर साम्राज्य (1336-1565 ई.) ● मुगल काल (1526-40 और 1555-1857) ● मराठा राज्य (1674-1720) और मराठा संघ (1720-1818) **III. आधुनिक भारत का इतिहास** ● बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार ● मैसूर में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार ● पंजाब में ब्रिटिश विस्तार ● भारत में किसान आंदोलन ● भारत में जनजातीय विद्रोह ● भारत में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ● महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधारक ● 1857 का विद्रोह ● कांग्रेस से पहले के महत्वपूर्ण संगठन ● बंगाल का विभाजन (1905) और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन (1905–08) ● मुस्लिम लीग (1906) ● कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन (1906) – स्वराज ● सूरत का विभाजन (1907) ● मार्ले-मिंटो सुधार (1909) ● होमरूल आंदोलन (1915–16) ● लखनऊ पैक्ट–कांग्रेस–लीग पैक्ट (1916) ● मोंटेग्यू घोषणा/1917 की अगस्त घोषणा ● रोलेट एक्ट (1919) ● जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919) ● खिलाफत आंदोलन (1920–22) ● असहयोग आंदोलन (1920–22) ● स्वराज पार्टी (1923) ● साइमन कमीशन (1927) ● लाहौर अधिवेशन (दिसंबर, 1929) ● दांडी मार्च/नमक सत्याग्रह (1930) ● पहला गोलमेज सम्मेलन (1930) ● गांधी–इरविन समझौता/दिल्ली समझौता (5 मार्च, 1931) ● दूसरा गोलमेज सम्मेलन (1931) ● सांप्रदायिक पुरस्कार/मैकडोनाल्ड पुरस्कार (16 अगस्त, 1932) ● पूना पैक्ट/गांधी-अंबेडकर पैक्ट (25 सितंबर, 1932) ● तीसरा गोलमेज सम्मेलन (17 नवंबर – 24 दिसंबर, 1932) ● भारत सरकार अधिनियम, 1935 ● कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा (22 दिसंबर, 1939) ● पाकिस्तान संकल्प/लाहौर संकल्प (24 मार्च, 1940) ● अगस्त प्रस्ताव/लिनलिथगो प्रस्ताव (8 अगस्त, 1940) ● व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा/व्यक्तिगत सत्याग्रह (अक्टूबर, 1940 – दिसम्बर, 1941) ● क्रिप्स मिशन (मार्च–अप्रैल 1942) ● भारत छोड़ो आंदोलन (1942) ● गांधीजी का उपवास (10 फरवरी – 7 मार्च, 1943) ● आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी-आईएनए) और सुभाष चंद्र बोस ● रॉयल इंडियन नेवी (आरआईएन)/रेटिंग विद्रोह (फरवरी 18, 1946) ● कैबिनेट मिशन (मार्च–जून, 1946) ● प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस/ग्रेट कलकत्ता नरसंहार (16 अगस्त, 1946) ● अंतरिम सरकार (2 सितंबर, 1946) ● संविधान सभा का गठन (9 दिसम्बर, 1946) ● एटली की घोषणा (फरवरी 20, 1947) ● माउंटबेटन योजना (3 जून, 1947) ● भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	73	18-59

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
	IV. भारतीय कला एवं संस्कृति • भारतीय वास्तुकला • भारत में मूर्तिकला का विकास • भारतीय संगीत • भारत में भाषाएँ		
8.	**भारतीय संविधान** • संविधान • भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ • नागरिकता • मौलिक अधिकार • मौलिक कर्तव्य • राज्य के नीति निदेशक तत्व • संघीय और राज्य की कार्यपालिका • संघ और राज्य विधानमंडल • भारतीय न्यायपालिका • स्थानीय स्वशासन • केंद्र और राज्य संबंध • चुनाव • आपातकालीन प्रावधान • राजभाषा • भारत में संवैधानिक संशोधन • भारत में प्रशासनिक निकाय • वैधानिक निकाय	23	60-95
9.	**भूगोल** **I. भारत का भूगोल** • भारत की भौतिक विशेषताएँ • भारत का नदी तंत्र • भारत की जलवायु • भारत में प्राकृतिक वनस्पति • भारत में मृदा • भारत में कृषि • भारत में उद्योग • भारत में खनिज संसाधन • भारत में ऊर्जा संसाधन • भारत में जनसंख्या **II. विश्व का भूगोल** • सौरमंडल • अक्षांश और देशांतर • चट्टानें और मृदा • भूकंप और ज्वालामुखी • पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृति • वातावरण	48	96-127
10.	**भारतीय अर्थव्यवस्था** • अर्थशास्त्र • भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ • आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास • आर्थिक नियोजन • राष्ट्रीय आय की गणना • कृषि • उद्योग तथा व्यापारिक संगठन • बैंकिंग • बजट • कर और उनका महत्व • मुद्रा • माँग और आपूर्ति • बेरोजगारी • गरीबी और शिक्षा • खाद्य सुरक्षा • वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण • बाजार और उपभोक्ता संरक्षण • व्यापार और वाणिज्य • अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन	21	128-155
11.	**पर्यावरण** • परिचय • जैवमंडल • पारिस्थितिकी • पारिस्थितिकी तंत्र • जीवोम • जैव विविधता • पर्यावरण प्रदूषण • वैश्विक जलवायु परिवर्तन	20	156-169

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
12.	**सामान्य विज्ञान** **I. भौतिक विज्ञान** ● मापन, राशियाँ तथा मात्रक ● बल ● कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति ● पदार्थ के यांत्रिक गुण ● ऊष्मा तथा ताप ● प्रकाश ● ध्वनि ● विद्युत एवं चुम्बकत्व ● प्रमुख खोजें एवं आविष्कारक **II. रसायन विज्ञान** ● पदार्थ ● अणु तथा परमाणु ● रासायनिक परिवर्तन ● रासायनिक समीकरण ● आवर्त सारणी ● अम्ल, क्षार तथा लवण ● कार्बन तथा उसके यौगिक ● तंतु तथा मानव–निर्मित वस्तुएँ ● महत्वपूर्ण तत्व और उनके खोजकर्ता **III. जीव विज्ञान** ● जीव विज्ञान क्या है? ● पादप तथा जंतुओं का जैव वर्गीकरण ● कोशिका तथा ऊतक ● पोषण ● मानव अंग तंत्र ● पादप कार्यिकी ● सूक्ष्मजीव	45	170-222
13.	**उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी** ● भारत में उ. प्र. का उल्लेखनीय स्थान ● कुछ नवसृजित जिले, सृजन तिथि व मूल जिले ● राज्य चिह्न ● उत्तर प्रदेश : एक दृष्टि में ● उत्तर प्रदेश परिवहन ● उत्तर प्रदेश में जन्मदर और मृत्युदर संबंधी आंकड़े 2024-25 ● उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आय के प्रमुख बिंदु ● उत्तर प्रदेश में शिक्षा ● वन्य जीव संरक्षण ● कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम ● पत्र/पत्रिकाएँ ● उत्तर प्रदेश : सर्वाधिक/न्यूनतम	36	223-248
14.	**विविध** ● भारत एवं विश्व में प्रथम तथा श्रेष्ठतम ● भारत एवं विश्व में सबसे बड़ा, लम्बा, छोटा, ऊँचा ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष, सप्ताह तथा दिवस ● खेल और क्रीड़ा ● राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ● प्रमुख संवैधानिक व गैर-संवैधानिक निकाय ● प्रमुख स्थान एवं समाधि स्थल ● विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा ● राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ● विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएँ ● प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ ● यूनेस्को की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें	20	249-280
15.	**अद्यतन तथ्य** ● भारत में रोजगार के प्रमुख क्षेत्र ● VR-G RAMG ● राष्ट्रीय आय ● सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या		281-282
		कुल प्रश्न संख्या : 329	

संख्यात्मक योग्यता

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
1.	संख्या पद्धति	17	1-4
2.	म.स.प. एवं ल.स.प.	29	5-7
3.	भिन्न एवं दशमलव संख्याएँ	16	8-13
4.	सरलीकरण	27	14-15
5.	औसत	18	16-17
6.	अनुपात एवं समानुपात	21	18-20
7.	आयु सम्बन्धी प्रश्न	15	21-22
8.	प्रतिशतता	34	23-25
9.	लाभ–हानि एवं बट्टा	36	26-28
10.	साझेदारी	12	29
11.	समय और कार्य	12	30-31
12.	साधारण ब्याज	24	32-33
13.	चक्रवृद्धि ब्याज	17	34-35
14.	समय, चाल एवं दूरी	11	36-37
15.	समंकों का विश्लेषण	10	38-40
16.	समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल	13	41-44
17.	पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन	10	45-46
18.	बीजगणित	24	47-49
19.	ज्यामिति	23	50-56
20.	समुच्चय	5	57-58
		कुल प्रश्न संख्या : 374	

मानसिक योग्यता

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
1.	तार्किक आरेख	35	1-5
2.	शब्द, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना	21	6-7
3.	व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण	20	8-11
4.	आँकड़ों का तार्किक विश्लेषण	6	12-13
5.	प्रभावी तर्क	14	14-16
6.	अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना	15	17-19
		कुल प्रश्न संख्या : 111	

मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
मानसिक अभिरुचि			
1.	जनहित/लोकहित वाद	35	1-3
2.	कानून एवं शांति व्यवस्था	22	4-5
3.	सांप्रदायिक सद्भाव	22	6-7
4.	विधि का शासन	39	8-10
5.	अनुकूलन क्षमता	22	11-12
6.	व्यावसायिक सूचना	24	13-14
7.	पुलिस प्रणाली	91	15-18
8.	समकालीन पुलिस के मुद्दे	47	19-21
9.	पुलिस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता	54	22-24
10.	पुलिस की व्यवसाय के प्रति रुचि एवं दृढ़ता और अपराध नियंत्रण	63	25-28
11.	अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्ग के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता	21	29-30
12.	लैंगिक संवेदनशीलता	27	31-32
13.	विविध	27	33-34
बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता			
1.	वर्णमाला पर आधारित प्रश्न	12	35-36
2.	सादृश्यता परीक्षण (सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण)	20	37-38
3.	कोडिंग–डिकोडिंग (संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना)	14	39-41
4.	वर्गीकरण (असमान को चिह्नित करना)	14	42
5.	शृंखला परीक्षण (शृंखला पूर्ण करना)	20	43-44
6.	दिशा ज्ञात करना	14	45-46
7.	रक्त सम्बन्ध	20	47-48
8.	कैलेंडर और घड़ी (समय-क्रम परीक्षण)	20	49-51
9.	गणितीय योग्यता परीक्षण	18	52-53
10.	पासा	15	54-62
11.	अंकगणितीय तर्क	11	63
12.	आकृति सादृश्यता (समरूपता/समानता)	14	64-65
13.	आकृति शृंखला	10	66-67
14.	आकृति वर्गीकरण (भिन्नता)	19	68-69
15.	आकृति पूर्ण करना (खाली स्थान भरना)	12	70-71
16.	दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब (दृश्य स्मृति)	15	72-74
17.	समस्या को सुलझाना	15	75-78

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
18.	विश्लेषण निर्णय	15	79-81
19.	आकृतियों को गिनना (विभेदन क्षमता)	14	82-83
20.	निर्णायक क्षमता	15	84-85
21.	अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता	15	86-88
		कुल प्रश्न संख्या : 816	

सामान्य हिंदी

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम (सम्पूर्ण थ्योरी)	अभ्यास प्रश्न	पृष्ठ संख्या
1.	हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ	12	1-2
2.	हिंदी वर्णमाला	15	3-4
3.	शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्‌भव, देशज, विदेशी (ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया–विशेषण, संबंधसूचक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक एवं निपात)	55	5-13
4.	संधि	30	14-15
5.	समास	10	16-17
6.	उपसर्ग एवं प्रत्यय	40	18-21
7.	वर्तनी/शब्द शुद्धि	25	22
8.	व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग (कारक), लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्ष एवं वाच्य	36	23-30
9.	विराम चिह्न	20	31-32
10.	रस, छंद एवं अलंकार	16	33-42
11.	शब्द ज्ञान : (क) पर्यायवाची शब्द (ख) विलोम शब्द (ग) समरूपी भिन्नार्थक शब्द (घ) वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द	54	43-45
12.	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	20	46
13.	अनेकार्थक शब्द	11	47
14.	वाक्य रचना एवं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	15	48-49
15.	प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ तथा हिंदी भाषा में पुरस्कार	15	50-52
16.	अपठित बोध	25	53-54
17.	विविध	–	55-56
		कुल प्रश्न संख्या : 399	

उत्तरमाला

इकाई	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य ज्ञान	1-2
2.	संख्यात्मक योग्यता	2-4
3.	मानसिक योग्यता	4
4.	मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता	4-7
5.	सामान्य हिंदी	7-9

अतिरिक्त अध्ययन सामग्री ई-बुक
(Extra Study Material E-Book)

Extra Study Material ई-बुक का Content

- व्याख्यात्मक हल (संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता) की ई-बुक
- डिस्काउंट कूपन दिया गया है। उसका उपयोग करें और 'www.examcart.in' से हमारी किताबें सबसे अच्छे डिस्काउंट पर खरीदें।

नोट : **Link Expire** होने से पहले दिए गए **QR Code** को स्कैन करके आप यह **Extra Study Material E-Book** को **Download** कर लें।

ऐसी पुस्तकें जो कोई आपको बताना नहीं चाहता!

इन अनोखी पुस्तकों ने कई छात्रों को उनके पहले प्रयास में ही परीक्षा पास करने में मदद की है और हम जो कहते हैं, उसे साबित भी करते हैं—इसीलिए हर पुस्तक के कुछ सैंपल चैप्टर दिए गए हैं। हम गारंटी देते हैं कि इन्हें पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि ये पुस्तकें क्यों सबसे बेहतरीन हैं और क्यों इतने सारे छात्र इनसे सफल हुए हैं।

नोट

पढ़ने के लिए, किसी भी पुस्तक के पास दिए गए **QR Code** को स्कैन करें, उसके वेबसाइट पेज पर **"View PDF"** पर क्लिक करें। अगर पुस्तक पसंद आए, तो **Extra Study Material** ई-बुक में दिया गया डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करें और बेहतरीन डिस्काउंट भी पाएँ!

वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण एवं साहित्य (Question Bank)

उत्तर प्रदेश पुलिस (UPP) कॉन्स्टेबल (PYQs)

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल (Solved Papers)

Competitive गणित (Text Book)

Competitive तर्कशक्ति (Text Book)

सामान्य हिंदी (Text Book)

STATIC G.K. (Text Book)

सामान्य विज्ञान (Text Book)

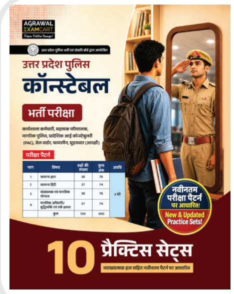

उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल (Practice Sets)

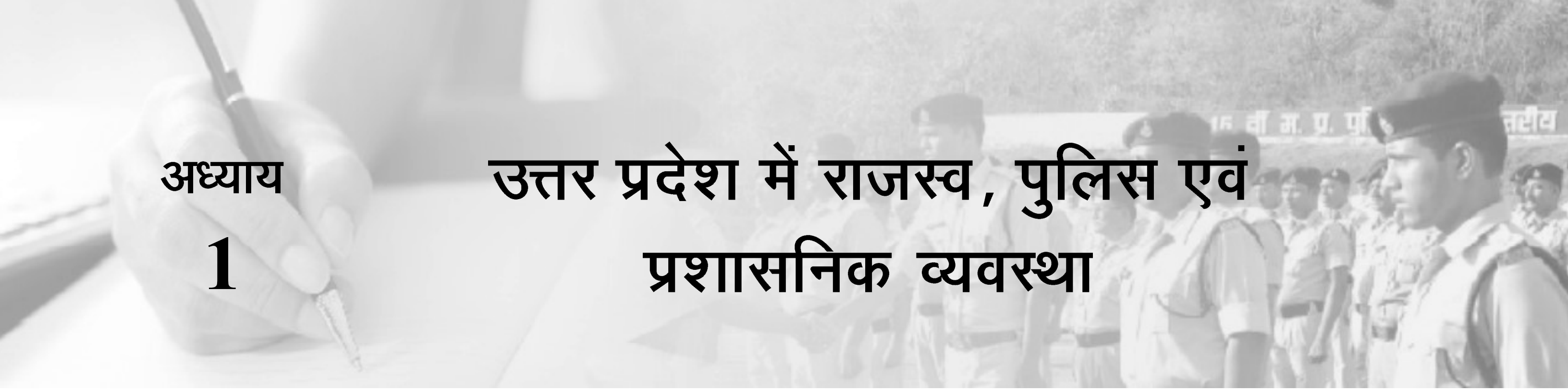

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्व परिषद् का इतिहास

- 1831 के वर्ष में इलाहाबाद में राजस्व मण्डल स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–
  (i) राजस्व कानूनों का प्रशासन
  (ii) वार्डों के कोर्ट के सम्बन्ध में कार्य
  (iii) राजस्व कानूनों के बारे में न्यायिक कार्य
  (iv) संग्रह कर्मचारियों पर किराये, राजस्व और नियन्त्रण का संग्रह
  (v) निपटान ऑपरेशन
- 1922 में मण्डल के कार्यों की राजस्व अधिनियम बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया गया था।
- अफीम और आयकर से सम्बन्धित पर कानूनों का प्रशासन प्रान्तीय सरकार द्वारा लिया गया था और इन्हीं शक्तियों को आयुक्तों को सौंप दिया गया था।

  राज्य प्रान्तीय कर कानूनों सहित राजस्व कानूनों के प्रशासन के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में उभरा और राजस्व प्रशासन, निपटान परिचालन और राज्य में वार्ड प्रशासन की अदालत के लिए सर्वोच्च पर्यवेक्षी निकाय।

1932–35 बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये

- 1932 में, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित स्थापना कार्य बोर्ड को सौंपा गया था।
- 1932 में बोर्ड को यू. पी. के लिए भूमि अभिलेख के निदेशक के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- 1932-34 के दौरान आयुक्तों और कलेक्टरों की विभागीय और जिला प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित कार्य बोर्ड को हस्तान्तरित किया गया था।
- 1934 में बोर्ड के वार्डों की अदालत ने बोर्ड से लिया था।

1947–48 में आजादी के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये गये

- बोर्ड के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य अलग थे।
- बोर्ड के न्यायिक शाखा इलाहाबाद में कार्य करना जारी रखा, प्रशासनिक शाखा को लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया। तभी से यह व्यवस्था जारी है।
- 1949 में राज्य में यूपीएजीए और एलआर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भूमि सुधार आयुक्त का एक पद बनाया गया था।
- 1951 में भूमि अभिलेख, किराया संग्रह, ताकवी और राजस्व भवनों के अन्य सरकारी बकाया प्रशासन से सम्बन्धित बोर्ड का कार्य स्थानान्तरित किया गया था।
- 1954 में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के काम को भूमि सुधार आयुक्त को भी सौंपा गया था। यह व्यवस्था 1956-57 तक जारी रही जब भूमि सुधार आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया। और उसके सभी कार्यों को बोर्ड को फिर से सौंपा गया।
- 1957-58 में बोर्ड को पोस्टिंग के स्थानान्तरण और छुट्टी आदि का अधिकार दिया गया था। डिप्टी कलेक्टर, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट और बिक्री कर अधिकारी।
- बोर्ड को एक्साइज, पंजीकरण, मनोरंजन कर और सम्मेलन विभागों पर पर्यवेक्षी नियन्त्रण की भी आवश्यकता थी।
- संक्षेप में, बोर्ड, मुख्य राजस्व प्राधिकरण, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों के रूप में कार्य कर रहा था। यहाँ बताया जा सकता है कि राजस्व मण्डल राज्य में सबसे अधिक राजस्व न्यायपालिक था, जो आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियन्त्रण की आवश्यकता थी। स्वतन्त्रता से पहले, इसने उच्च न्यायालय के रूप में लगभग समान शक्तियों और प्रतिष्ठा का प्रयोग किया।

  सरकार और कल्याणकारी राज्य के उद्भव होने के बाद, राजस्व बोर्ड के इन दोनों कार्यों ने नीति तैयार करने और नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अधिक से अधिक केन्द्रीकरण का नेतृत्व किया। राजस्व मण्डल द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रशासनिक शक्ति राज्य सरकार द्वारा ली गई थी।

राजस्व विभाग परिचय

राजस्व सचिव शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित पाँच विभागाध्यक्ष हैं–
(i) राजस्व परिषद्, उ. प्र. लखनऊ
(ii) चकबन्दी आयुक्त, उ. प्र. लखनऊ
(iii) राहत आयुक्त उ. प्र. लखनऊ
(iv) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, उ. प्र. लखनऊ
(v) प्रमुख संपादक, जिला गजेटियर, लखनऊ।

- राजस्व परिषद् राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष है। इसके अन्तर्गत मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं।
- मण्डलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मण्डलायुक्त होते हैं। इसी प्रकार जिलाधिकारी के अधीन अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्वनिरीक्षक तथा लेखपाल आते हैं।
- राजस्व परिषद् के अधीन सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें संचालित होती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है।

- राजस्व सचिव शाखा के अधीन दूसरे विभागाध्यक्ष चकबंदी आयुक्त है। इस विभाग का काम खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग खातेदारों की जोतों से एक निर्धारित प्रतिशत से कटौती करके उसे विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित करता है।

पुलिस प्रणाली

परिभाषा—सदरलैण्ड के अनुसार, ''पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य की तरफ से जनप्रतिनिधियों की तरफ इशारा करता है जिनका कार्य कानून और व्यवस्था को कामय रखना और विशेष रूप से नियमित रूप से अपराध संहिता को लागू करना है।''

पुलिस की प्रमुख विशेषताएँ

पुलिस की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. पुलिस राज्य द्वारा स्थापित न्यायतंत्र का एक अंग होती है।
2. यह राज्य के प्रतिनिधि के रूप में या अभिकर्ता के रूप में काम करती है।
3. पुलिस का प्रधान कार्य कानून एवं व्यवस्था को कायम रखना है।
4. पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।
5. पुलिस आपराधिक संहिता का प्रवर्तन करती है।
6. यह कानूनभंजकों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायोचित दण्ड हेतु पेश करती है।
7. यह स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था व शान्ति स्थापना की दिशा में हमेशा तत्पर एवं क्रियाशील रहती है।

पुलिस संगठन

पुलिस शब्द बहुत ही व्यापक है। इसके तहत निम्नांकित संगठन आते हैं—

1. **सामान्य पुलिस**—यह पुलिस सामान्य प्रशासन में सहयोग देती है। इस श्रेणी में आर्म्ड पुलिस तथा सिविल पुलिस आती है।
2. **सशस्त्र पुलिस**—यह पुलिस गम्भीर अपराधी हिंसा, डकैती आदि को रोकने का काम करती है। यह संगठन राज्य पुलिस को सहयोग करता है।
3. रेलवे पुलिस।
4. गुप्तचर पुलिस।
5. यातायात पुलिस।
6. स्त्री पुलिस या महिला पुलिस।
7. सेण्ट्रल रिजर्व पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स।

यद्यपि यह वर्गीकरण काफी नहीं है, परन्तु भारत में पुलिस इन्हीं स्वरूपों में काम करती है।

पुलिस बल की संरचना

प्रत्येक राज्य अपनी सुविधानुसार पुलिस बल का निर्माण करता है। साधारण पुलिस बल में निम्नांकित अधिकारियों का समावेश होता है—

1. **महानिदेशक पुलिस**—प्रत्येक राज्य के पुलिस प्रशासन का मुख्य अधिकारी महानिदेशक पुलिस होता है।
2. **अपर पुलिस महानिदेशक**—किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के कई पद हो सकते हैं, यह राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के बाद दूसरा उच्चाधिकारी होता है।
3. **महानिरीक्षक पुलिस**—प्रदेश में एक से ज्यादा महानिरीक्षक पुलिस हो सकते हैं जो कि महानिदेशक पुलिस के तहत काम करते हैं। पुलिस महानिरीक्षक के तहत चार सहायक महानिरीक्षक सदस्य रहते हैं जो क्रमशः (1) गुप्तचर विभाग (CID), (2) विशेष सशस्त्र बल स्थापना तथा बजट विभाग में पदस्थ होते हैं।
4. **उपमहानिरीक्षक**—महानिरीक्षक कार्यालय के तहत पाँच महानिरीक्षक पुलिस कार्य करते हैं, ये हैं—

   (i) उपमहानिरीक्षक—सामान्य प्रशासन

   (ii) उपमहानिरीक्षक—अपराध रेलवे

   (iii) उपमहानिरीक्षक—खुफिया

   (iv) उपमहानिरीक्षक—विशेष सशस्त्र बल

   (v) उपमहानिरीक्षक—सतर्कता

   प्रत्येक सम्भाग स्तर पर मुख्य पुलिस अधिकारी को पुलिस उपमहानिरीक्षक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1988 से सम्भागीय स्तर पर पुलिस उप–महानिरीक्षक खत्म कर दिया गया है।
5. **पुलिस अधीक्षक**—जिले की पुलिस व्यवस्था का यह सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इसके अधीनस्थ सहायक पुलिस अधीक्षक और उप–पुलिस अधीक्षक होते हैं।
6. **जिले के अन्य पुलिस अधिकारी** प्रत्येक जिले में उपरोक्त के अलावा निम्नांकित पुलिस अधिकारी पदस्थ होते हैं—

   (i) मण्डल अधिकारी

   (ii) मण्डल निरीक्षक

   (iii) निरीक्षक

   (iv) उपनिरीक्षक

   (v) सहायक उपनिरीक्षक

   (vi) मुख्य आरक्षक

   (vii) आरक्षक

प्रशासनिक व्यवस्था

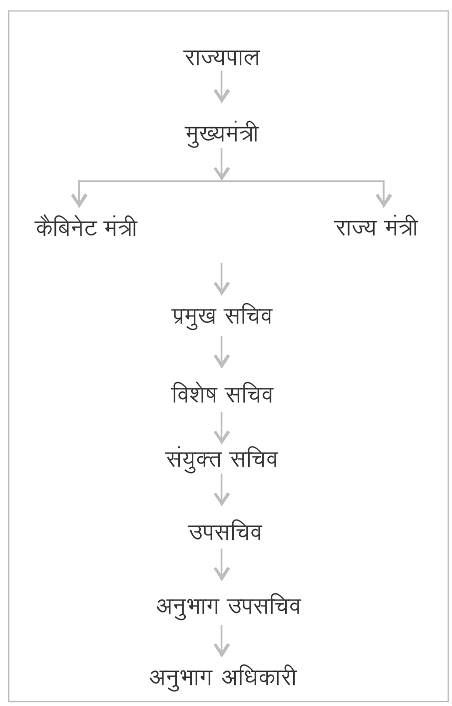

प्रशासनिक इकाइयाँ	
मण्डल	18
जिले	75
न्यायिक जिले	72
तहसील	351
विकास खण्ड	826
आबाद ग्राम	97814

- राज्य को 18 सम्भागों में बाँटा गया है।
- सम्भाग प्रमुख को आयुक्त कहते है।
- आयुक्त के अन्तर्गत कई जिलाधिकारी आते हैं।
- जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता हैं।
- जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई अतिरिक्त जिलाधिकारी होते हैं।

  इसका वर्गीकरण इस प्रकार है–

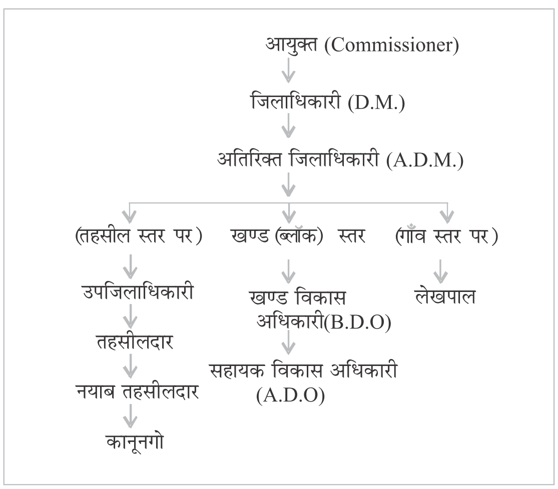

शासन व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, जो तीन भागों में विभाजित है–

(i) कार्यपालिका

(ii) व्यवस्थापिका

(iii) न्यायपालिका

(i) कार्यपालिका

- राज्याध्यक्ष राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर रहता है।
- राज्यपाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
- राज्य कार्यपालिका की सम्पूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
- श्रीमति सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.	नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	श्रीमती सरोजनी नायडू	15 अगस्त, 1947	2 मार्च, 1949
2.	विधुभूषण मलिक (कार्यवाहक)	3 मार्च, 1949	1 मई, 1949
3.	होरमस्जी पेरोशों मोदी	3 मई, 1949	1 जून, 1952
4.	कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी	2 जून, 1952	9 जून, 1957
5.	वाराहगिरि बैंकट गिरि	10 जून, 1957	30 जून, 1960
6.	डॉ. बी. रामकृष्ण राव	1 जुलाई, 1960	15 अप्रैल, 1962
7.	विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	30 अप्रैल, 1967
8.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	1 मई, 1967	30 जून, 1972
9.	शशिकान्त वर्मा (कार्यवाहक)	1 जुलाई, 1972	13 नवम्बर, 1972
10.	अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	24 अक्टूबर, 1974
11.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	1 अक्टूबर, 1977
12.	गनपत राव देवजी तपासे	2 अक्टूबर, 1977	27 फरवरी, 1980
13.	चन्द्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह	28 फरवरी, 1980	31 मार्च, 1985
14.	मोहम्मद उसमान आरिफ	31 मार्च, 1985	11 फरवरी, 1990
15.	बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	25 मई, 1993
16.	मोतीलाल बोरा	25 मई, 1993	3 मई, 1996
17.	मोहम्मद शफी कुरैशी (कार्यवाहक)	3 मई, 1996	19 जुलाई, 1996
18.	रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	17 मार्च, 1998
19.	मोहम्मद शफी कुरैशी (कार्यवाहक)	17 मार्च, 1998	19 अप्रैल, 1998
20.	सूरजभान	20 अप्रैल, 1998	23 नवम्बर, 2000
21.	विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	2 जुलाई, 2004
22.	सुदर्शन अग्रवाल (कार्यवाहक)	3 जुलाई, 2004	8 जुलाई, 2004
23.	टी. वी. राजेश्वर	8 जुलाई, 2004	27 जुलाई, 2009
24.	बी. एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	15 जुलाई, 2014
25.	रामनाईक	15 जुलाई, 2014	28 जुलाई
26.	आनन्दी बेन पटेल	29 जुलाई, 2019	कार्यरत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री

क्र.	नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	पं. गोविद बल्लभ पन्त	1 अप्रैल, 1947	27 दिसम्बर, 1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28 दिसम्बर, 1954	6 दिसम्बर, 1960
3.	चन्द्रभान गुप्त	7 दिसम्बर, 1960	1 अक्टूबर, 1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	2 अक्टूबर, 1963	13 मार्च, 1967
5.	चन्द्रभान गुप्त	14 मार्च, 1967	2 अप्रैल, 1967
6.	चौधरी चरण सिंह	3 अप्रैल, 1967	25 फरवरी, 1968
	राष्ट्रपति शासन	25 फरवरी, 1968	25 फरवरी, 1969
7.	चन्द्रभान गुप्त	26 फरवरी, 1969	17 फरवरी, 1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17 फरवरी, 1970	1 अक्टूबर, 1970
	राष्ट्रपति शासन	2 अक्टूबर, 1970	18 अक्टूबर, 1970
9.	त्रिभुवन नारायण सिंह	18 अक्टूबर, 1970	4 अप्रैल, 1971
10.	कमलापति त्रिपाठी	4 अप्रैल, 1971	12 जून, 1973
	राष्ट्रपति शासन	12 जून, 1973	8 नवम्बर, 1973
11.	हेमवती नन्दन बहुगुणा	8 नवम्बर, 1973	30 नवम्बर, 1975
	राष्ट्रपति शासन	30 नवम्बर, 1975	21 जनवरी, 1976
12.	नारायण दत्त तिवारी	21 जनवरी, 1976	30 अप्रैल, 1977
	राष्ट्रपति शासन	30 अप्रैल, 1977	22 जून, 1977
13.	रामनरेश यादव	23 जून, 1977	28 फरवरी, 1979
14.	बनारसी दास	28 फरवरी, 1979	17 फरवरी, 1980
	राष्ट्रपति शासन	17 फरवरी, 1980	9 जून, 1980
15.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	9 जून, 1980	19 जुलाई, 1982
16.	श्रीपति मिश्र	19 जुलाई, 1982	3 अगस्त, 1984
17.	नारायण दत्त तिवारी	3 अगस्त, 1984	23 सितम्बर, 1985
18.	वीर बहादुर सिंह	24 सितम्बर, 1985	24 जून, 1988
19.	नारायण दत्त तिवारी	25 जून, 1988	5 दिसम्बर, 1989
20.	मुलायम सिंह यादव	5 दिसम्बर, 1989	24 जून, 1991
21.	कल्याण सिंह	24 जून, 1991	6 दिसम्बर, 1992
	राष्ट्रपति शासन	6 दिसम्बर, 1992	4 दिसम्बर, 1993
22.	मुलायम सिंह यादव	4 दिसम्बर, 1993	3 जून, 1995
23.	कुमारी मायावती	3 जून, 1995	17 अक्टूबर, 1995
	राष्ट्रपति शासन	18 अक्टूबर, 1995	21 मार्च, 1997
24.	कुमारी मायावती	21 मार्च, 1997	21 सितम्बर, 1997
25.	कल्याण सिंह	21 सितम्बर, 1997	12 नवम्बर, 1999
26.	राम प्रकाश गुप्त	12 नवम्बर, 1999	27 अक्टूबर, 2000
27.	राजनाथ सिंह	28 अक्टूबर, 2000	8 मार्च, 2002
	राष्ट्रपति शासन	8 मार्च, 2002	3 मई, 2002
28.	कुमारी मायावती	3 मई, 2002	26 अगस्त, 2003
29.	मुलायम सिंह यादव	29 अगस्त, 2003	11 मई, 2007
30.	कुमारी मायावती	13 मई, 2007	14 मार्च, 2012
31.	अखिलेश यादव	15 मार्च, 2012	19 मार्च, 2017
32.	योगी आदित्यनाथ	19 मार्च, 2017	कार्यरत

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष

क्र.	नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन	31 जुलाई, 1947	10 अगस्त, 1950
2.	नफीसुल हसन(कार्यकारी)	11 अगस्त, 1950	6 मई, 1952
3.	आत्माराम गोविन्द खेर	20 मई, 1952	25 मार्च, 1962
4.	मदन मोहन वर्मा	26 मार्च, 1962	16 मार्च, 1967
5.	जगदीश शरण अग्रवाल	17 मार्च, 1967	16 मार्च, 1969
6.	आत्माराम गोविन्द खेर	17 मार्च, 1969	18 मार्च, 1974
7.	वासुदेव सिंह	18 मार्च, 1974	12 जुलाई, 1977
8.	बनारसी दास	12 जुलाई, 1977	6 फरवरी, 1979
9.	जगन्नाथ प्रसाद (कार्यकारी)	7 फरवरी, 1979	17 फरवरी, 1980
10.	श्रीपति मिश्र	18 फरवरी, 1980	18 जुलाई, 1982
11.	यादवेन्द्र सिंह (कार्यकारी)	19 जुलाई, 1982	24 अगस्त, 1982
12.	धर्म सिंह	24 अगस्त, 1982	15 मार्च, 1985
13.	नियाज हसन	15 मार्च, 1985	8 जनवरी, 1990
14.	हरि किशन	9 जनवरी, 1990	30 जुलाई, 1991
15.	केशरीनाथ त्रिपाठी	30 जुलाई, 1991	15 दिसम्बर, 1993
16.	धनीराम वर्मा	15 दिसम्बर, 1993	20 जून, 1995
17.	बी. आर. वर्मा	20 जून, 1995	26 मार्च, 1997
18.	केशरीनाथ त्रिपाठी	27 मार्च, 1997	14 मई, 2002
19.	केशरीनाथ त्रिपाठी	14 मई, 2002	19 मई, 2004
20.	डॉ. वकार अहम शाह (कार्यकारी)	19 मई, 2004	26 जुलाई, 2004
21.	माता प्रसाद पाण्डेय	26 जुलाई, 2004	18 मई, 2007
22.	सुखदेव राजभर	18 मई, 2007	12 अप्रैल, 2012
23.	माता प्रसाद पाण्डेय	13 अप्रैल, 2012	30 मार्च, 2017
24.	हृदय नारायण दीक्षित	30 मार्च, 2017	कार्यरत

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति

क्र.	नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	चन्द्रभाल	10 मार्च, 1949 26 जनवरी, 1950	25 जनवरी, 1950 5 मई, 1958
2.	निजामुद्दीन (कार्यकारी)	6 मई, 1958	19 जुलाई, 1958
3.	रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	5 मई, 1964
4.	दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम)	6 मई, 1964	4 अगस्त, 1964
5.	दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964 6 मई, 1968	5 मई, 1968 1 मार्च, 1969
6.	वीरेन्द्र स्वरूप) (कार्यकारी	2 मार्च, 1969	14 मार्च, 1969
7.	वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	5 मई, 1974
8.	वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी)	6 मई, 1974	10 जून, 1974
9.	वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	26 मई, 1980
10.	वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी)	26 मई, 1980	17 जून, 1980
11.	वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम)	18 जून, 1980	5 अक्टूबर, 1980
12.	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	6 अक्टूबर, 1980	5 मई, 1982
13.	शिवप्रसाद गुप्त (कार्यकारी)	6 मई, 1982	2 मार्च, 1983
14.	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	3 मार्च, 1983	5 मई, 1988
15.	जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	5 अप्रैल, 1989
16.	जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	7 मार्च, 1990
17.	जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	8 मार्च, 1990	4 जुलाई, 1990
18.	शिवप्रसाद गुप्त	5 जुलाई, 1990	6 जुलाई, 1992
19.	नित्यानन्द स्वामी	7 जुलाई, 1992	9 मई, 1997
20.	नित्यानन्द स्वामी	10 मई, 1997	8 नवम्बर, 2000
21.	नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी)	9 नवम्बर, 2000	16 नवम्बर, 2000
22.	ओम प्रकाश शर्मा	17 नवम्बर, 2000	5 मई, 2002
23.	कुँवर मानवेन्द्र सिंह	6 मई, 2002	2 अगस्त, 2004
24.	सुखराम यादव	3 अगस्त, 2004	15 जनवरी, 2010
25.	कमलकान्त गौतम	16 जनवरी, 2010	21 जनवरी, 2010
26.	गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	15 जनवरी, 2016
27.	रमेश यादव	11 मार्च, 2016	30 जनवरी, 2021
28.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह	31 जनवरी, 2021	वर्तमान तक

(ii) व्यवस्थापिका

- उत्तर प्रदेश में दो सदस्यीय व्यवस्थापिका है–विधानसभा और विधान परिषद्
- विधानसभा लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसमें 403 सदस्य निर्वाचित एवं 1 सदस्य एंग्लो इण्डियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है।
- विधानसभा का सदस्य बनने हेतु प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- वह भारत का नागरिक हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- उन सभी योग्यताओं को रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं।
- राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद् में ऐंग्लो इण्डियन्स समुदाय से एक–एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
- बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होता है।
- मन्त्रिमण्डल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- विधानसभा का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है।
- विधान परिषद् में 100 सदस्य हैं। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। $\frac{1}{3}$ सदस्य विधानसभा से, $\frac{1}{3}$ सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, $\frac{1}{2}$ सदस्य शिक्षकों से, $\frac{1}{12}$ सदस्य स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। शेष $\frac{1}{6}$ सदस्य राज्यपाल द्वारा विशेष क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं।
- विधान परिषद् को उच्च सदन कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का गठन 1937 ई. में किया गया था।

(iii) न्यायपालिका

- राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीनता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हैं।
- **उच्च न्यायालय**–राज्य में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा इसकी खण्डपीठ लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ई. में हुई थी।
- **जिला न्यायालय**–प्रदेश न्यायिक जिलों में बँटा है, जिनमें प्रत्येक का नियन्त्रण जिला न्यायाधीश द्वारा होता है।
- न्यायिक सेवा को दो भागों में बाँटा गया है–उत्तर प्रदेश सिविल(न्यायिक) सर्विस और उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस।
- **राजस्व परिषद्**–राजस्व के मामले जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्णीत होते हैं।
- आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त अपीलों की सुनवाई करते हैं।
- राजस्व में सबसे उच्च न्यायालय राजस्व परिषद् है।

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

	नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
•	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14 सितम्बर, 1977	13 सितम्बर, 1982
•	पद रिक्त	14 सितम्बर, 1982	9 जनवरी, 1983
•	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10 जनवरी, 1983	10 जनवरी, 1989
•	पद रिक्त	11 जनवरी, 1989	27 जनवरी, 1989
•	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28 जनवरी, 1989	28 जनवरी, 1995
•	पद रिक्त	29 जनवरी, 1995	8 फरवरी, 1995
•	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	9 फरवरी, 1995	13 जनवरी, 2000
•	पद रिक्त	14 जनवरी, 2000	15 मार्च, 2000
•	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16 मार्च, 2000	15 मार्च, 2006
•	न्यायमूर्ति श्री एन. के. मेहरोत्रा	16 मार्च, 2006	30 जनवरी, 2016
•	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31 जनवरी, 2016	कार्यरत

महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

1. उत्तर प्रदेश के कौन–से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं/थे?
(A) संपूर्णानंद
(B) गोबिंद वल्लभ पंत
(C) बनारसी दास
(D) योगी आदित्यनाथ

2. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में "..........सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढाँचा" विकसित करने का कदम उठाया है।
(A) विद्यालय शिक्षा
(B) पर्यावरण संरक्षण
(C) सड़क सुरक्षा
(D) सब के लिए बिजली

3. निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं सँभाला?
(A) श्री चन्द्रभानु गुप्ता
(B) श्री एच. पी. मोदी
(C) श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुन्शी
(D) श्री बुर्गुला रामकृष्ण राव

4. उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है?
(A) न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन
(B) न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल
(C) न्यायमूर्ति एन. के. मेहरोत्रा
(D) न्यायमूर्ति सुधीर चन्द्र वमा

5. उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं?
(A) तारकेश्वरी सिन्हा
(B) सुचेता कृपलानी
(C) मायावती
(D) विजयलक्ष्मी पंडित

6. उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने ?
(A) अखिलेश यादव
(B) गोविन्द बल्लभ पन्त
(C) वी. पी. सिंह
(D) कमलापति त्रिपाठी

7. राम नाईक ने वर्ष .... में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
(A) 2014 (B) 2015
(C) 2016 (D) 2013

❑❑